पत्र संख्या – 11/विविध – 06–06/2021–...........................

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

आदेश

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा प्रक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमंडल, अररिया अंतर्गत एकरारनामा संख्या–01SBD/2018–19 के तहत वर्ष 2017 में अप्रत्याशित वर्षा/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए पूर्वी कोशी नहर प्रणाली के जीर्णोद्धार, चाहरदीवारी एवं भवनों की मरम्मति कार्य में अतिशय विलंब के लिए संवेदक कैमेक इंजीनियर्स प्रा0लि0, सिल्लीगुड़ी, (प0 बंगाल) को विभागीय आदेश ज्ञापांक 4245 दिनांक 13.10.2022 द्वारा अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया गया था।

डिबार आदेश के विरूद्ध संवदेक द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपील अभ्यावेदन पर दिनांक 15.03.2023 को सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में संवदेक द्वारा मुख्यतः निम्नांकित तथ्यों को रखा गयाः–

1. उनके द्वारा कार्य **95 प्रतिशत** पूर्ण करा दिया गया है।
2. **शेष 5 प्रतिशत** कार्य को पूर्ण करने में **जल जमाव** को समस्या के रूप में इंगित किया गया है।
3. किए गए कार्य का **भुगतान लंबित** रहने को कार्य में बाधा के तौर पर इंगित किया गया है।

उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर विभागीय आदेश सं0 1361 दिनांक 20.03.2023 द्वारा विभागीय आदेश ज्ञापांक 4245 दिनांक 13.10.2022 को तत्काल स्थगित कर दिया गया। साथ ही मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा से उपर्युक्त बिन्दुओं के संदर्भ में प्रतिवेदन प्राप्त कर नये सिरे से निर्णय लिये जाने हेतु मामले को अभियंता प्रमुख, मुख्यालय को वापस लौटाया गया।

उक्त के क्रम में विभागीय पत्रांक 1444 दिनांक 24.03.2023, पत्रांक 1961 दिनांक 21.04.2023, पत्रांक 2499 दिनांक 19.05.2023 तथा पत्रांक 4078 दिनांक 10.07.2023 द्वारा उक्त तीनों बिन्दुओं पर मुख्य अभियंता, सहरसा से प्रतिवेदन की मांग की गई।

मुख्य अभियंता के पत्रांक 1609 दिनांक 28.06.2023 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसके अनुसार बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् हैं:–

1. संवेदक द्वारा विषयांकित कार्य को 95 प्रतिशत पूर्ण करने का दावा आधारहीन है। दिनांक 25.05.2023 तक संवेदक द्वारा एकरारित कार्य का मात्र 92 प्रतिशत कार्य किया गया है।

2. एकरारनामा के अनुसार अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु मुख्य अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त दिए गये निदेशों के बावजूद जल–जमाव की समस्या के लिए संवेदक द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं की गयी एवं अवशेष कार्यों को पूर्ण करने में यथोचित अभिरूचि नहीं ली जा रही है।

3. मार्च, 2021 तक कराये गये कार्य के विरूद्ध नियमानुसार भुगतान लंबित रहने का मामला आधारहीन एवं सत्य से परे है। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संवेदक द्वारा मार्च, 2021 तक कराये गये कार्य में पायी गयी त्रुटियों का निराकरण भी नहीं किया गया है।

मुख्य अभियंता द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन एवं संवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्युत्तर में विरोधाभास प्रतीत होने के कारण विभागीय पत्रांक 4351 दिनांक 26.07.2023 द्वारा मुख्य अभियंता द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के आलोक में संवेदक को एक सप्ताह के अंदर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया।

लगातार

संवेदक के पत्रांक शून्य दिनांक 01.08.2023 द्वारा मुख्य अभियंता द्वारा उपलबध कराए प्रतिवेदन के आलोक में अपना प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

मुख्य अभियंता द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं संवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्युत्तर के आधार पर मामले की समीक्षा संबंधित मोनिटरिंग अंचल द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त संबंधित मोनिटरिंग अंचल द्वारा संवेदक के जवाब पर मुख्य अभियंता द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों से सहमत होते हुए संवेदक के जवाब में अंकित तथ्यों को आधारहीन होने की बात कही गई है।

अतः अपीलीय प्राधिकार के स्तर से निर्गत विभागीय आदेश सं0 1361 दिनांक 20.03.2023 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में मुख्य अभियंता के पत्रांक 1609 दिनांक 28.06.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संवेदक कैमेक इंजीनियर्स प्रा0लि0, 40/107, रामकृष्ण समिति बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, पानी टंकी मोड़, सिवॉक रोड, सिल्लीगुड़ी, (प0 बंगाल) के जवाब को आधारहीन पाते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक 4245 दिनांक 13.10.2022 को यथावत् रखा जाता है।

ह0/–
(ओम प्रकाश सिंह)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

प्रतिलिपि :– श्री विनोद कुमार अग्रवाल, निदेशक– कैमेक इंजीनियर्स प्रा0लि0, पता– 40/107, रामकृष्ण समिति बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, पानी टंकी मोड़, सिवॉक रोड, सिल्लीगुड़ी, प0 बंगाल पिन – 734001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(ओम प्रकाश सिंह)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक : 5047 /पटना, दिनांक : 26.9.2023

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल –2,3,4, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग एवं कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश सिंह)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

25.9.23